पंचायती राज योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति महिला जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन

[1]दीपमाला कुमारी एवं [2]डॉ० पूनम

[1]शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

[2]प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजेन्द्र कॉलेज, छपरा।

सारांश :

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पंचायतीराज योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति बिहार राज्य के सारण जिला के ग्रामीण क्षेत्र में जानने हेतु प्रस्तुत विषय पर महिला जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के अभिमत के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गये। इससे यह पता चलता है कि स्वाधीनता के इतने वर्षो बाद भी गाँवों का पूर्ण संतृप्तीकरण अभी नहीं हो पाया है। यद्यपि पंचायतीराज योजनाओं का क्रियान्वयन एवं विभिन्न योजनाओं का संचालन पूर्ण रूप में हो रहा है किन्तु अभी वास्तविकता के स्तर पर विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे खुले में शौच मुक्ति, प्रत्येक गरीब के लिए आवास, प्रत्येक गाँव में विद्युतीकरण की व्यवस्था, गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ने की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति तथा शिक्षा सुविधाओं से प्रत्येक परिवार को लाभान्वित करने की स्थिति अभी पूर्ण नहीं हो पायी है। समाज एक सतत् एवं विकासशील व्यवस्था है इसमें विभिन्न काल खण्डों में आवश्यकता, जन आकांक्षा एवं जन भागीदारी के द्वारा निरन्तर बदलाव आते रहे हैं। स्वाधीनता के पश्चात् देश में सतत् विकास एवं ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित हुए। इनमें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास का एक मॉडल तैयार किया गया। विभिन्न आयोगों, समितियों एवं विद्वानों के द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर सत्ता विकेनद्रीकरण एवं विकास के मॉडल को अपनाते हुए संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया जिसके द्वारा पंचायतों को विभिन्न अधिकार प्रदान करते हुए आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं यहाँ आधारभूत सुविधाएँ जैसे बिजली, पानी, स्वच्छता, आवास, पेन्शन, शिक्षा आदि के लिए व्यापक प्रयास किये गये। इसलिए पंचायतीराज योजना को और अधिक व्यापक अधिकार, क्रियान्वयन के लिए जागरूकता एवं इसके प्रत्येक पक्ष को जनसामान्य तक पहुँचाने हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी : पंचायतीराज व्यवस्था, योजना, महिला जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण और अभिमत है।

1. भूमिका :

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप बलवन्त राय मेहता समिति के सुझावों पर आधारित है किन्तु विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर दिये जाने वाले धन एवं प्राथमिकताओं में अन्तर के कारण पंचायती राज संस्थाएँ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकी, इसके लिए समय–समय पर सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु अनके समितियों का गठन किया। जिसमें अशोक मेहता समिति 1977, जी0बी0के0

राव समिति 1985, एल0 एम0 सिंघवी समिति 1986 और 73वाँ संविधान संशोधन 1992 प्रमुख है। इन सभी समितियों के सुझावों के अनुरूप विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने और अनेक अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि करके अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता रहा किन्तु विभिन्न प्रयासों के बावजदू भी अभी विकसित पंचायतो का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है।

सारण जिला भी पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित है। जिला में पंचायती राज योजनाओं कि विभिन्न सुविधाओं से आज विकास पथ पर अग्रसर है। तहसील में 32 के0 वी0 के विद्युत उपकेन्द्र प्राथमिक एवं सामदुायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तगर्त निःशुल्क शौचालयों की सुविधा की उपलब्धता, प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता, सडक् एवं सम्पर्क मार्गो की स्थापना और एक हजार तक की अवधि को मख्ुयमार्ग एवं 500 तक की आबादी को खडेंज व नाली की सुविधा यक्ुत बनाने का कार्य किया गया है।

वर्तमान में पंचायतों के कार्य, दायित्व एवं अधिकारों में वृद्धि हुई है, अधिकांश विकास योजनाएँ ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के माध्यम से करायी जा रही है आज आवास, बिजली, पानी, सड़क, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि मूलभूत जरूरतों की पूर्ति पंचायतों के माध्यम से करायी जा रही है परन्तु उक्त सम्पूर्ण प्रयासों एवं पंचायतों को प्रदान किये गये अधिकारों के बावजदू गाँव की व्यवस्था में अनेकानेक समस्यायें दिखायी देती है। आज भी कई गाँव विकास से अछूते हैं, कई गाँवों में बिजली व्यवस्था जर्जर या अनपुलब्ध है। आज भी समाज में असमानता विद्यमान है, महिलाओं की स्थिति न्यून है, शिक्षा की व्यवस्था अपर्याप्त है, पीने का स्वच्छ जल नहीं मिलता, कृषि एवं सिंचाई के साधनों का अभाव है, आवास हीन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है तथा पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों में गुणवत्ता का अभाव है और जनता में पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में जागरूकता की कमी है। उक्त समस्याओं के कारणों को जानने तथा 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित एवं प्राप्त लक्ष्यों की स्थिति एवं चुनौतियों को ज्ञात करने की जिज्ञासा में शोधार्थी को प्रस्तुत विषय पर अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। पंचायती राज योजना के क्रियान्वयन की स्थिति के प्रति महिला जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के विचारों को ज्ञात करने हेतु प्रस्तुत विषय पर अध्ययन किया गया है।

2. उद्देश्य :

1. पंचायती राज योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति महिला जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के विचारों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

2. पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के सम्बन्ध में जानकारी के प्रति महिला जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के विचारों का समीक्षात्मक अध्ययन।

3. अध्ययन विधि :

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षणात्मक प्रविधि का अनुप्रयोग किया गया है, जिसमें पंचायतीराज योजनाओं के विभिन्न पक्षों पर ग्रामीणों एवं महिला जनप्रतिनिधियों से विचार प्राप्त करने हेतु उनसे सम्पर्क एवं निधारित विषयों पर प्रतिक्रिया प्राप्त की गयी है। प्रस्तुत अध्ययन में सारण जिला के पाँच प्रखण्ड क्रमशः मकेर, इसुआपुर, सदर, जलालपुर, दिघवारा प्रखण्डों में से 100 गॉवों के महिला जनप्रतिनिधियों एवं 200 ग्रामीणों से विचार प्राप्त किये गये हैं ग्रामीणों एवं महिला जनप्रतिनिधियों के अभिमत हेतु पंचायती राज कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुसूची का प्रयोग किया

गया है जिसमें पंचायतीराज योजना से जुड़े विभिन्न पक्षों के प्रति कथन रखे गये हैं संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण में प्रतिशत मान का प्रयाग किया गया है

4. निष्कर्ष विवेचन :

सारणी संख्या–1

पंचायतीराज योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति महिला जनप्रतिनिधियों एव ग्रामीणों के विचारों का समीक्षात्मक अध्ययन

चर	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत
महिला जनप्रतिनिधि	84	84	05	05	11	11
ग्रामीण	132	66	40	20	28	14

उक्त सारणी के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि पंचायती राज योजनाओं के विषय में महिला जन प्रतिनिधियों एवं ग्रमीणों के विचारों में पर्याप्त अन्तर है जहाँ पंचायती राज योजनाओं के विषय में जानकारी के प्रति 84 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने हाँ में प्रतिक्रिया व्यक्त की वहीं मात्र 66 प्रतिशत ग्रामीणों को पंचायती राज योजनाओं के विषय में जानकारी है। 5 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने पंचायती राज योजनाओं के विषय में जानकारी के सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त की जबकि 11 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने पंचायती राज योजनाओं के सम्पूर्ण बिन्दुओं की जानकारी के प्रति अनिश्चितता व्यक्त की। ग्रामीणों में पंचायती राज योजनाओं के विषय में 20 प्रतिशत ग्रामीणों ने अनभिज्ञता एवं 14 प्रतिशत ग्रामीणों ने इन योजनाओं के विषय में अनिश्चितता व्यक्त की। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के विषय में ग्रामीणों की जानकारी अत्यन्त न्यून है वे केवल मुख्य योजनाएँ एवं उसके क्रियान्वयन की दशाओं से ही परिचित हैं, जबकि महिला जनप्रतिनिधियों में भी इन योजनाओं के जानकारी की कमी है। अतः पंचायती राज व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज योजनाओं के सम्बन्ध में पंचायत स्तर पर ग्रामीणों एवं महिला जनप्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण एवं इसकी विधिवत जानकारी प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। शोधार्थी द्वारा अपने क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान पंचायती राज व्यवस्था के प्रति ग्रामीणों की अनभिज्ञता एवं इसके विभिन्न पक्षों पर जानकारी का अभाव दृष्टिगत हुआ।

आरेखीय स्पष्टीकरण : पंचायती राज योजनाओं के विषय में जानकारी के प्रति महिला जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के विचारों को निम्नलिखित आरेख द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है –

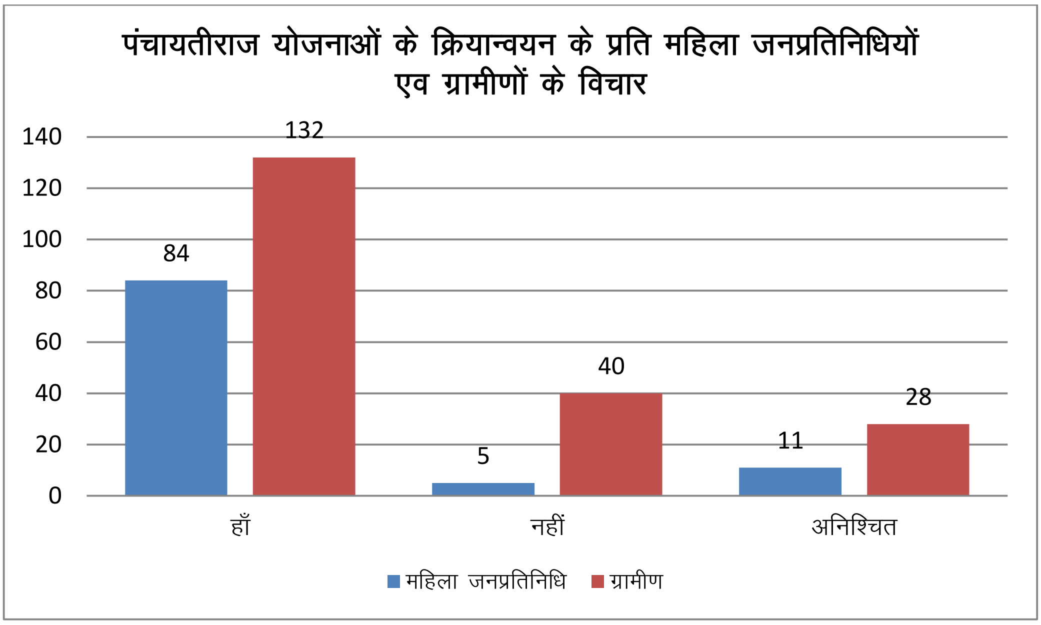

सारणी संख्या–2

पंचायती राज व्यवस्था के स्तरों के सम्बन्ध में महिला जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के विचारों का अध्ययन

चर	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत
महिला जनप्रतिनिधि	92	92	2	2	6	6
ग्रामीण	124	62	60	30	16	8

उक्त सारणी के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के सम्बन्ध में महिला जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के विचारों में पर्याप्त अन्तर है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था के स्तर के सम्बन्ध में जानकारी के प्रति 92 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने 'हाँ' में प्रतिक्रिया व्यक्त की वहीं मात्र 62 प्रतिशत ग्रामीणों को पंचायती राज व्यवस्था के स्तर के सम्बन्ध में जानकारी है। 2 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने पंचायती राज व्यवस्था के स्तर के सम्बन्ध में जानकारी के प्रति अनभिज्ञता व्यक्त की जबकि 6 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने पंचायती राज व्यवस्था के स्तर के सम्बन्ध में अनिश्चितता व्यक्त की। ग्रामीणों में पंचायती राज व्यवस्था के स्तर के सम्बन्ध में 30 प्रतिशत ग्रामीणों ने अनभिज्ञता एवं 8 प्रतिशत ग्रामीणों ने पंचायती राज व्यवस्था के स्तर के सम्बन्ध में अनिश्चित्ता व्यक्त की।

इससे स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर विभाजन एवं इन स्तरों पर ग्राम पंचायतों में कराये जाने वाले विभिन्न कार्यो व इन स्तरों से सम्बन्धित विभिन्न कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में महिला जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों में पर्याप्त जागरूकता की कमी है। अधिकांश ग्रामीणों को केवल ग्राम पंचायत स्तर के विषय में संक्षिप्त जानकारी है, जबकि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के माध्यम से भी गाँव में विभिन्न विकासात्मक योजनाएँ संचालित होती हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के विभिन्न कार्य योजनाओं के प्रति अल्प जानकारी एवं अनिश्चित्ता व्यक्त की गयी। अतः पंचायती राज व्यवस्था की

सफलता एवं इसके विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को प्राप्त अधिकार एवं संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु इसके विभिन्न स्तरों का संज्ञान महिला जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण दोनों को होना आवश्यक है। ग्राम पंचायतों में खुली बठैक एवं प्रखण्ड व जिला स्तर से पंचायती राज योजना से जुड़े लोगों के माध्यम से समुचित जानकारी प्रदान कर इसके सम्बन्ध में जनजागरूकता बढ़ाये जाने की आवश्यकता महससू की गयी।

आरेखीय स्पष्टीकरण : पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के सम्बन्ध में जानकारी के प्रति महिला जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के विचारों को निम्नलिखित आरेख द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैं–

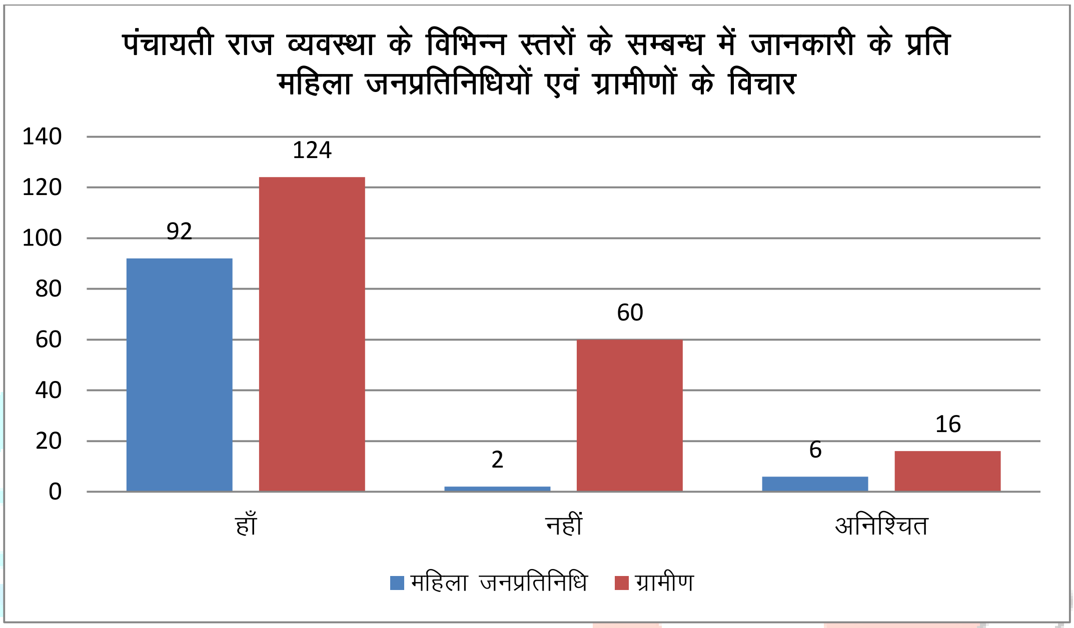

5. निष्कर्ष :

1. पंचायती राज व्यवस्था के अन्तगर्त संचालित विभिन्न योजनाओं के विषय में ग्रामीणों की जानकारी अत्यन्त न्यून है, वे केवल मुख्य योजनाएँ एवं उसके क्रियान्वयन की दशाओं से ही परिचित हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों में भी इन योजनाओं के जानकारी की कमी है। अतः पंचायती राज व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज योजनाओं के सम्बन्ध में पंचायत स्तर पर ग्रामीणों एवं महिला जनप्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण एवं इसकी विधिवत जानकारी प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
2. पंचायती राज व्यवस्था के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर विभाजन एवं इन स्तरों पर ग्राम पंचायतों में कराये जाने वाले विभिन्न कार्यो व इन स्तरों से सम्बन्धित विभिन्न कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में महिला जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों में पर्याप्त जागरूकता की कमी है।

सन्दर्भ सूची

[1] वर्मा, सवालिया बिहारी (2011) : ग्रामीण पंचायती राज सस्थाएं युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नयी दिल्ली, पृ0 सं0—03

[2] गांधी एम0 के0 (2016) : ग्राम स्वराज, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, पृ0 सं0— 80

[3] श्रीनिवास एम0 एन0 (1961) : इण्डियाज विलेज, एसिया पब्लिसिंग हाऊस, बाम्बे, पृ0 सं0 —26

[4] अल्तेकर ए0एस0 (1948) : प्राचीन भारतीय शासन पद्धतियाँ, भारतीय भण्डार, प्रयागराज, पृ0 सं— 61

[5] महीपाल (2014) : पंचायती राज चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नयी दिल्ली, पृ0सं0—13

[6] विद्यालंकर सत्यकेतु (2011) : भारत की शासन पद्धति और राजतन्त्र, श्री सरस्वती सदन, नयी दिल्ली, पृ0सं0—35

[7] सिंह, वी0 पी0 (1992) : ग्राम पंचायत में जन सहभागिता, विजय प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी, पृ0 सं0—11—12